2017ध्00265

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 99/2016/टीए

रामेश्वरलाल मुबन्ना शंकरलाल गाडरी
निवासी बोरखेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. जेतुबाई पत्नि रामेश्वरलाल गाडरी
   निवासी तलाउ तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ़
2. राधाबाई पत्नि शंकर गाडरी
   निवासी बोरखेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध आदेश न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
दिनांक 06.06.2016 प्रकरण सं. 51/2012

उपस्थित – 1. श्री नरेन्द्र कुमार नाहर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पूरण मेनारिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 व 2

निर्णय दिनांक– 16.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रामेश्वरलाल ने प्रतिवादी जेतुबाई, राधाबाई एवं अन्य 19 के विरूद्ध ग्राम बोरखेडा मे स्थित खतौनी संख्या 26 मे उल्लेखित कृषि भूमि कुल किता 2 क्षैत्रफल 9 बिस्वा, खतोनी संख्या 74 मे उल्लेखित कृषि भूमि कुल किता 26 रकबा 40 बीघा 02 बिस्वा, खतोनी संख्या 75 मे उल्लेखित कृषि भूमि कुल किता 1 रकबा 16 बिस्वा, खतोनी संख्या 75 मे उल्लेखित कृषि भूमि कुल किता 2 रकबा 5 बिस्वा 15 बिस्वा एवं ग्राम सुल्तानुपरा मे स्थित खतोनी संख्या 40 मे उल्लेखित कृषि भूमि कुल किता 6 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि मे मृतक शंकरलाल के निहित हिस्से की कृषि भूमि का प्रार्थी वादी को खातेदारी खातेदार कृषक घोषित फरमाया जाकर कृषि भूमि का विभाजन कराने प्रतिवादीगण विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने हेतु धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ताफैसला वाद प्रतिवादी विपक्षी संख्या 1 व 2 विवादित आराजीयात का अन्तरण विक्रय, रहन, बख्शीश नही करे, हिस्से के अनुसार कब्जे मे दखलदांजी नही करे तथा रिकार्ड की स्थिति मे कोई परिवर्तन नही करे। इस हेतु पाबन्द

किये जाने का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18/06/2012 को प्रार्थी वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष मे मानकर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि विपक्षीगण विवादित कृषि भूमि का बेचान व अन्तरण नही करे न करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय आपके द्वार कैम्प कोर्ट रतिचन्दजी का खेडा पर प्रार्थी अपीलार्थी की अनुपस्थिति अंकित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06/06/2016 को खारीज करने का आदेश पारित किया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण मे पेशी दिनांक 04/07/2016 नियत थी। इसके पूर्व आदेशिका मे प्रकरण मे पेशी बहस हेतु नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय आपके द्वार कैम्प कोर्ट रतिचन्दजी का खेडा पर प्रार्थी वादी को उपस्थित होने हेतु सूचित नही किया तथा पत्रावली की आदेशिका मे कैम्प कोर्ट मे उपस्थित हेतु पाबन्द नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18/06/2012 को प्रार्थी वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष मे मानकर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। ग्राम बोरखेडा मे खतौनी संख्या 26,74,75,76 एवं ग्राम सुल्तानपुरा मे स्थित खतौनी संख्या 40 मे स्थित कृषि भूमि मृतक शंकर लाल गाडरी एवं अन्य सहखातेदारी के खातेदारी मे अंकित थी। मृतक शंकरलाल गाडरी ने अपने जीतेजी सामाजित रीतिरिवाज के अनुसार अपने कोई जायंदा औलाद नही होने से प्रार्थी अपीलार्थी को गोद रखा। मृतक शंकरलाल गाडरी ने प्रार्थी अपीलार्थी के पक्ष मे दिनांक 10/09/2009 को अंतिम इच्छापत्र के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात मे अपने हिस्से को प्रार्थी के पक्ष मे वसीयत किया। मृतक शंकरलाल गाडरी की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी अपीलार्थी वसीयत के माध्यम से मृतक शंकरलाल के निहित हक एवं हिस्से को अपने खातेदारी मे घोषित कराने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलार्थी को प्रार्थी को दिनांक 21/11/2016 को पटवार हल्का से विवादित कृषि भूमि जेतीबाई, राधा द्वारा अन्य व्यक्तियो को विक्रय किये जाने के बारे मे बतलाने पर हुई। जिस पर प्रार्थी अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया। जिस पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 06/06/2016 को निरस्त करने की जानकारी दिनांक 21/11/2016 को प्राप्त हुई। नकल दिनांक 23/11/2016 को प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः आदेश दिनांक 06/06/2016 से दिनांक 21/11/2016 तक की अवधि को उपरोक्त उचित कारणो से कन्डोन किया जाना न्यायोचित है। धारा 5 अवधि अधिनियम का

प्रार्थना पत्र भ ी प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट के हक मे बनता है क्योकि कैम्प कोर्ट का न तो कोई नोटिस जारी हुआ तथा न ही तामील हुआ। प्रार्थी का भूमि पर कब्जा है। ऐसी सूरत मे अन्य दो कारक भी उनके हक मे बनते है। दिनांक 28/06/2012 की आदेशिका मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना माना है। उन्होने अपने हक मे आरआरटी 2013 पार्ट–2 पेज 805, आरआरटी 2014 पार्ट–2 पेज 930, आरआरटी 2015 पार्ट–2 पेज 985 तथा आरआरटी 2011–12 (सम्पलीमेन्ट्री) की ताईद पेश की है तथा मांग की गई की अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण खारीज किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्टे चाह रहे है तो विधिसम्मत नही है। यह विधि का सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार का कब्जा माना जावेगा। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उल्लेखित तीनो कारको का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 51/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 06/06/2016 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ